प्रेषक,

विजय कुमार आजाद,
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सख्या–7, फिरोजाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा– श्रीमान जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

विषयः– **माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वित्तीय वर्ष 2020–2021 के पैरा संख्या 1 e (iii), 1 f, 1 f (i), 1 f (ii), 1 f (iii), 1 (g) और 04 में की गई प्रतिकूल टिप्पणी को सकारात्मक परिवर्तित करके उन्नत (Upgrade) किये जाने हेतु प्रत्यावेदन :–**

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि दिनांक 01 अप्रैल 2020 से 06 अगस्त 2020 तक प्रार्थी विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) बलरामपुर में नियुक्त था। प्रार्थी का प्रीम्योचोर स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त प्रार्थी दिनांक 10–08–2021 से 31–03–2021 तक अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–7, फिरोजाबाद में नियुक्त रहा ।

दिनांक 22 मार्च, 2020 से कोविड–19 महामारी के कारण सम्पूर्ण प्रदेश में लाक डाउन लग जाने के कारण, विपरीत परिस्थितियों में, जनपद बलरामपुर एवं फिरोजाबाद में केवल अति आवश्यक कार्य माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उ०प्र०सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया। **प्रार्थी ने बलरामपुर में नियुक्ति के दौरान 421.72 यूनिट एवं फिरोजाबाद में 718.14 यूनिट, कुल 1140 यूनिट कार्य किया।**

माननीय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रवृष्टि 2020–2021 ई सर्विस पोर्टल पर दिनांक 15–06–2021 को अपलोड कराई परन्तु प्रार्थी प्राइवेट किराये के मकान से सरकारी पूल्ड हाउस जजेज कालोनी फिरोजाबाद में स्थानान्तरित होने के कारण, उक्त प्रविष्टि का अवलोकन दिनांक 24–06–2021 को किया। अवलोकन से ज्ञात हुआ की मा० जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वः निर्धारण प्रपत्र के पैरा संख्या 1 e (iii), 1 f, 1 f (i), 1 f (ii), 1 f (iii), 1 (g) और 04 में तथ्यों के विपरीत प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी है। प्रार्थी उनका प्रस्तरवार प्रत्यावेदन कर रहा है, जो निम्नवत हैः–

पैरा–1 e (iii)– माननीय जनपद न्यायाधीश ने पुराने वादों के निस्तारण में केवल दो सत्र परीक्षण, एक विशेष सत्र परीक्षण एवं दो सिविल अपील कुल 5 वाद निर्णीत करना दिखाया है जबकि प्रार्थी ने कोरोना काल में लाकडाउन जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी **5 वर्ष पुराने** 22 वाद निस्तारण हेतु लक्ष्य निधार्रित किया और लक्ष्य के अनुरूप 22 में से **12 प्राचीन वाद निर्णीत किये** हैं। इसी प्रकार **10 वर्ष पुराने वादों** में 3 वादों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें से वर्ष 2009 की **01 अति प्राचीन सिविल अपील गुण दोष पर निर्णीत** की है। **वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष)** के 7 लम्बित वादों में से **04 वाद प्रार्थी ने गुण दोष पर निर्णीत किये** हैं, जिनका अंकन स्वः निर्धारण प्रपत्र के पैरा सं० क्रमशः 2 ए(i)(ii),2B(i),(ii) एवं 2c(i),(ii) में है। **प्रार्थी ने कुल 5 प्राचीन वाद नहीं बल्कि**

7

13 प्राचीन/अति प्राचीन वाद गुण दोष पर निर्णीत किये हैं। माननीय जनपद न्यायधीश ने स्वयं माना कि पीठासीन अधिकारी ने 28 वाद गुण दोष पर और 8 वाद पूर्ण पक्षद्रोही होने पर निर्णीत किये हैं।

पैरा 1 f – माननीय जनपद न्यायाधीश ने यह अंकित किया है कि– Whether judgement on facts and on law are on the whole sound, well reasoned and expressed in good language?= Average प्रार्थी ने स्वः निर्धारण प्रपत्र के साथ संलग्न तीनों निर्णयों में तथ्य का युक्तियुक्त विश्लेषण एवं विधि की पूर्ण दृढ़ता से (अच्छी तरह से) भली भॉति तर्क संगत, बुद्धिमत्तता पूर्ण निर्णय बेहतरीन भाषा में व्यक्त करते हुए प्रभावी रूप से निर्णय किये गये हैं। मेरे उपरोक्त निर्णयों में तथ्य के साथ–साथ विधि एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्थाओं के आलोक में एक प्रज्ञावान व्यक्ति की समक्ष में आने वाले और तर्कों की सम्यक विवेचना उपरान्त विधिक निर्णय पारित किये गये हैं।

1 f (I) – माननीय जनपद न्यायाधीश ने यह अंकित किया है कि Marshalling of facts– Average प्रार्थी ने Self Assessment के साथ संलग्न तीनों निर्णयों में अभियोजन कथानक/ वाद पत्र कथन में वर्णित तथ्यों का रचना क्रम प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करते हुए घटित घटनाक्रम के समय काल के अनुसार विस्तृत विवेचना करके विधिनुसार निर्णय पारित किया है। जो उपरोक्त निर्णयों के सम्यक अवलोकन से स्वतः प्रमाणित है।

1 f (ii) – माननीय जनपद न्यायाधीश ने यह अंकित किया है कि Appreciation of Evidence– Not up to the mark प्रार्थी द्वारा स्वः निर्धारण प्रपत्र के साथ संलग्न निर्णयों के सम्यक अवलोकन से स्वतः प्रमाणित है कि प्रार्थी ने निर्णयों में साक्ष्य की गुण दोष पर विवेचना करके उसका अभिमूल्यन करके विधिनुसार युक्तियुक्त निर्णय पारित किया है जिसमें कोई तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है।

1 f (III) – माननीय जनपद न्यायाधीश ने यह अंकित किया है कि Application of law– Average प्रार्थी ने निस्तारित किये गये तीनों मामलों में, उस मामले के तथ्य से सम्बन्धित मूल कानूनों का उल्लेख अपने निर्णयों में किया है। मूल कानूनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद आदि द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्वांत के आलोक में तथ्यों के अनुरूप कानूनों का सम्यक उपयोग करते हुए तथ्य के आधार पर विधिनुसार निर्णय पारित किया है, जो स्वः निर्धारण प्रपत्र के साथ संलग्न निर्णयों के अवलोकन से स्वतः प्रमाणित है।

प्रार्थी ने केस के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधिक उपबन्धों के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्देशित विधि व्यवस्थाओं के अनुरूप तथ्य व परिस्थितियों के अनुरूप अभियुक्त पक्ष के तर्कों को अपने विधिक ज्ञान के अनुरूप मान्य/अमान्य करते हुए उन पर अपना निष्कर्ष व्यक्त करते हुए गुण–दोष पर निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णयों में अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक द्वारा किये गये बैनामें को निरस्त कराने के लिए आवश्यक उपबन्धों/नियमों व अधिनियमों को माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख निर्णयों में करते हुए सम्यक विवेचना के उपरान्त बुद्धिमत्ता पूर्ण रूप में निर्णीत किया है। इसी प्रकार फौजदारी निर्णयों में भारतीय दण्ड संहिता व आयुध अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अभियोजन स्वीकृति, कारतूसों का बैलेस्टिक विशेषज्ञ से प्रमाणित करना, एकल साक्षी, पुलिस साक्षी, स्वतंत्र साक्षी, विवेचक परीक्षित ना कराना, दोषपूर्ण विवेचना आदि तथ्यों पर माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णीत विधि व्यवस्थाओं के अनुरूप अपना विधिसम्मत मत व्यक्त करते हुए तथ्यों को सम्यक रूप से सुव्यवस्थित करके विधिक उपबन्धों के अन्तर्गत निर्णीत किया है।

पैरा 1 (g) – माननीय जनपद न्यायाधीश ने यह अंकित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 1200 यूनिट के सापेक्ष केवल 1139.86 यूनिट अर्थात 1140 यूनिटस कार्य किया है, जो कि अपर्याप्त है। यहां पर यह उल्लेखित कर देना समीचीन होगा कि प्रार्थी ने जनपद फिरोजाबाद के **अपर जिला जज, न्यायालय संख्या–7, फिरोजाबाद जो एक रिक्त न्यायालय था और उसमें एक भी पत्रावली लम्बित नहीं थी,** माननीय महोदय के आशीर्वाद से रिक्त न्यायालय में कार्यभार ग्रहण किया। माननीय जनपद न्यायाधीश से कई बार मौखिक निवेदन करने के उपरान्त महोदय ने आदेश दिनांकित 17–08–2020 से मात्र 117 पत्रावलियां (समस्त प्रकृति की) अन्य न्यायालयों से आहूत कर विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित की।

प्रार्थी ने अपने अथक एवं कठिन प्रयासों से उन्हीं पत्रावलियों में नजदीक की तिथि नियत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार के कोविड–19 सम्बन्धी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए निम्नलिखित पत्रावलियों को बहस के स्तर तक पहुचा दिया परन्तु प्रार्थी के दुर्भाग्यवश माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने प्रार्थी के न्यायालय से बहस स्तर (Final Argument) पर लम्बित पत्रावलियों की सूची आहूत की।

दिनांक 21–10–2020 को बहस स्तर पर लम्बित सत्र परीक्षणीय वाद विवरण क्रमशः निम्नवत हैः–

क्रमांक	सत्र परीक्षणीय वाद	नाम पक्षकार	धारा	थाना	अवस्था
1	ST NO–350/2015	राज्य / छोटू उर्फ आचमन	307IPC	उत्तर	बहस
2	ST NO–527/2017	राज्य / पवन तिवारी	307IPC	उत्तर	बहस
3	ST NO–340/2017	राज्य / राहुल दिवाकर	307/34, 504, 506IPC	उत्तर	बहस
4	ST NO–343/2017	राज्य / राहुल	307IPC	उत्तर	बहस
5	ST NO–344/2017	राज्य / रक्षपाल उर्फ राजपाल	307, 120 (B) IPC	उत्तर	बहस

उपरोक्त बहस की समस्त पत्रावलियों को प्रार्थी के न्यायालय से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने अपने आदेश दिनांक 21–10–2020 से अपने न्यायालय में विधिनुसार निस्तारण हेतु वापस आहूत (अन्तरित) कर लिया। यदि उक्त पत्रावलियां प्रार्थी के न्यायालय में लम्बित रहती तो प्रार्थी उन्हें विधिनुसार निर्णीत करके माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित (मानक अनुसार) विहित यूनिटस अभिप्राप्त कर लेता और तदोपरान्त प्रार्थी का कोटा/लक्ष्य भी पूर्ण हो जाता। **माननीय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा बहस की 5 पत्रावलियों को वापस लेने का आदेश दिनांकित 21–10–2020 (संलग्नक संख्या–1) है।**

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने यह अंकित किया है कि अनेकों सत्र परीक्षणीय वाद अधिकारी की प्रार्थना पर अन्तरित किये गये परन्तु फिर भी वह निर्धारित यूनिटस पूर्ण करने में असफल रहे हैं और महोदय ने स्वयं यह माना कि अधिकारी ने कोटा पूर्ण करने के लिए बहुत कष्ट किया है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि बहस स्तर की उपरोक्त पांच पत्रावलियों को माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा वापस लेने के उपरान्त प्रार्थी ने महोदय से कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर मौखिक निवेदन किया कि प्रार्थी के न्यायालय में **जनपद के समस्त सत्र न्यायालयों से भी न्यूनतम पत्रावलियां (लगभग 100 पत्रावलियां) लम्बित हैं जिनमें मानक के अनुसार 1200 यूनिट का कार्यकर पाना अत्यन्त असम्भव/दुष्कर कार्य है।** माननीय जनपद न्यायाधीश ने मात्र आश्वासन दिया, परन्तु कोई पत्रावली प्रार्थी के न्यायालय में अन्तरित नहीं की।

माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा दिनांक 06–01–2021 को 02.15 पी०एम० पर

किये गये आकस्मिक निरीक्षण टिप्पणी में मुझे डायस पर अनुपस्थित दिखाया। उक्त **आकस्मिक निरीक्षण टिप्पणी का स्पष्टीकरण (संलग्नक–2)** प्रार्थी ने दिनांक 08–01–2021 को डाक बही क्रमांक संख्या 02/2021 ADJ-7, फिरोजाबाद दिनांक 08–01–2021 फिरोजाबाद से प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त कराते हुए निवेदन किया कि आकस्मिक निरीक्षण दिनांक को प्रार्थी के न्यायालय में सत्र परीक्षण–77, सिविल मिस०–17 व सिविल–11 कुल मात्र 105 पत्रावलियां मौजूद थी। दिनांक 06–01–2021 को पेशी में 10 सत्र परीक्षण (जिसमें 2 हाजिरी में, 8 साक्ष्य में) क्रिमिनल अपील–2 एवं सिविल अपील–2 कुल 14 पत्रावलियां नियत थी। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या–168/LXXXVII-CPC/e courts/ allahabad/dated 18 december 2020 के अनुपालन में दिनांक 02–01–2021 से सभी न्यायालय न्यायिक कार्य हेतु खोल दिये गये। उससे पूर्व (कोविड–19 महामारी के कारण) लाकडाउन के कारण केवल अति आवश्यक कार्य करने की ही अनुमति दी गयी थी। लाक डाउन की वजह से साक्षी/अभियुक्त न्यायालयों में उपस्थित नहीं हो रहे थे और उत्पीड़क कार्यवाही करने हेतु निषिद्व किया गया था जिसके कारण पत्रावलियां परिपक्व होकर बहस के स्तर तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि उस समय केवल सामान्य तिथि ही नियत की जा रही है।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने स्पष्टीकरण दिनांक 08–01–2021 के उपरान्त भी कोई पत्रावली अन्तरित नहीं की तो प्रार्थी ने महोदय से कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर कई बार पुनः अपनी व्यथा बताई और पत्रावलियां अन्तरित करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना असफल होने पर प्रार्थी ने **बृहद प्रार्थना पत्र दिनांक 02–03–2021 (संलग्नक संख्या–3)** माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित किया और उसमें निवेदन किया कि प्रार्थी के न्यायालय में उस दिनांक को मात्र सत्र परीक्षण–75, क्रिमिनल मिस०–08, क्रिमिनल अपील–07, सिविल अपील–07, एस०सी० सी०–01 कुल 98 पत्रावलियां लम्बित हैं, जबकि अन्य सत्र न्यायालयों में हजारो की संख्या (2800) में पत्रावलियां निस्तारण हेतु लम्बित है। *प्रार्थी ने माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का ध्यान इस तरफ भी आकृष्ट कराया कि प्रार्थी का न्यायालय सामान्य अपर जिला जज का न्यायालय है। विशेष न्यायालय नहीं है। महोदय ने प्रार्थी को किसी भी अनुभाग का प्रभारी अधिकारी नहीं बनाया है, जबकि प्रार्थी जनपद में वरिष्ठता क्रम में 7 वें पायदान पर है। **केवल माननीय महोदय के आदेश से अन्तरित होकर प्राप्त होने वाली पत्रावलियां ही निस्तारण हेतु लम्बित है। इस न्यायालय में किसी अभियुक्त का रिमाण्ड, जमानत प्रार्थना पत्र, वाहन/पीड़िता अवमुक्ति आदि से संबंधित प्रार्थना पत्र एवं विशेष अधिनियम सम्बन्धी प्राधिकार वाली पत्रावली लम्बित नहीं है।*** माननीय महोदय ने आदेश दिनांक 09–03–2021 से कुल 55 पत्रावलियां अन्तरित की, जो इस न्यायालय में नियत दिनांक 18–03–2021 के उपरान्त नियत तिथि को ही हाजिरी/साक्ष्य के स्तर पर प्राप्त हुयी, जिनमें पूर्व से लम्बी तिथियां नियत थी। कोई भी पत्रावली बहस में नियत ना होने के कारण निस्तारित ना हो सकी। **प्रार्थी के अथक प्रयास व अत्यधिक कष्ट सहने के बाद भी प्रार्थी अपनी 19 वर्ष, 9 माह, 7 दिन की सेवा अवधि में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित यूनिट के सापेक्ष वादों के निस्तारण में कभी भी कम यूनिट निस्तारित नहीं हुयी अर्थात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित यूनिटस को सदैव पूर्ण किया गया है।**

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में कुल 15 जमानत प्रार्थना पत्र (अगस्त 2020 में–03, जनवरी 2021 में–03, फरवरी में 03 एवं मार्च 2021 में कुल 05) विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित किये, जिनका प्रार्थी ने विधिनुसार त्वरित निस्तारण कर दिया है। माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2020 में कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय जनपद न्यायाधीश, फिरोजाबाद के आदेश से निस्तारण हेतु प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रार्थना

पैरा 4.– माननीय जनपद न्यायाधीश ने अंकित किया है कि अधिकारी को सलाह दी जाती है कि वह और अधिक गम्भीर प्रयास पुराने वादों के निस्तारण हेतु करें और निर्धारित यूनिटस प्राप्त कर लें। उपरोक्त की बाबत सादर निवेदन है कि प्रार्थी ने 01 अति प्राचीन व 12 प्राचीन वाद कुल 13 प्राचीन/अति प्राचीन वाद गुण दोष पर निर्णीत किये हैं। यदि माननीय जनपद न्यायाधीश ने प्रार्थी को अन्य न्यायालयों की भॉति 500 या उससे अधिक पत्रावलियां अन्तरित की होती या प्रार्थी के न्यायालय में लम्बित सबसे न्यूनतम 98 पत्रावलियों की संख्या को देखते हुए अधिक पत्रावलियां अन्तरित कर दी होती या बहस के स्तर की पांच पत्रावलियां अपने आदेश दिनांक 21–10–2020 से वापस आहूत ना की होती तो प्रार्थी अपने कड़े प्रयास के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कोटा/यूनिटस प्राप्त करने में सफल हो जाता। माननीय जनपद न्यायाधीश ने प्रार्थी को किसी भी अनुभाग का प्रभारी अधिकारी बना देने या सैकड़ों जमानत प्रार्थना पत्र विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित कर देने या विशेष न्यायालय का विशेष न्यायाधीश नियुक्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित यूनिट्स पूर्ण करने में सफल हो जाता। **प्रार्थी इसी दौरान कोरोना महामारी से पीडित होने के कारण जिला अस्पताल फिरोजाबाद के कारोनो कोविड–19 वार्ड में इलाज हेतु निरूद्ध रहा और स्वस्थ होने पर होम क्वारन्टीन भी रहा। कोविड–19 के कारण 20 दिन (02 अक्टूबर–2020 से 21 अक्टूबर–2020) कोविड–19 चिकित्सीय अवकाश पर रहा।**

प्रार्थी भविष्य में सदैव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित यूनिट्स को पूर्ण करने और अधिक प्राचीन वादों को निस्तारित करने का हमेशा गम्भीर और सतत प्रयास करेगा।

अंततः माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रत्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए वार्षिक प्रविष्टि के **पैरा संख्या 1 e (iii), 1 f, 1 f (i), 1 f (ii), 1 f (iii), 1 (g) और 04** में माननीय जनपद, फिरोजाबाद द्वारा सरसरी तौर पर दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि जिसे माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अनुमोदन कर दिया है, को हटाकर उन्नयन (Upgrade) कराने के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रत्यावेदन रखने की महति कृपा करें।

सादर !

प्रार्थी

05.7.2021

(विजय कुमार आजाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–7, फिरोजाबाद।

दिनांक– 05–07–2021

संलग्नक–

1. मा० जिला जज का आदेश दिनांक 21–10–2020
2. आकस्मिक निरीक्षण टिप्पणी स्पष्टीकरण
   दिनांक 08–01–2021
3. पत्रावलियां अन्तरित करने हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 02–03–2021

कक्ष स०- 07 फिरोजाबाद।
पत्रावलियों की सूची

क्र० स०	मु० नं०	नाम पक्षकार	धारा	थाना	केस की स्थिति	नियत तिथि
01	ST 350/15	राज्य v/s छोटू उ० आलमन	307 IPC	उत्तर	बहस 9/9	28/10/2020
02	ST 527/17	राज्य v/s पवन तिवारी आदि	307 IPC	उत्तर	बहस 9/9	28/10/2020
03	ST 345/17	राज्य v/s राहुल दिवाकर आदि	307/34, 504, 506 IPC	उत्तर	बहस	22/10/2020 A/R
04	ST 343/17	राज्य v/s राहुल आदि	307 IPC	उत्तर	बहस 9/7	22/10/2020
05	ST 344/17	राज्य v/s रक्षपाल व राजपाल	307, 120B IPC	उत्तर	बहस 9/7	22/10/2020

ORDER

Seen. The list of S.T. Cases Sl. No. 01 to 05, pending in the Court of Additional District & Sessions Judge, Court No. 7, Firozabad are recalled for Disposal according to law.

Sanjeev Fauzdar
Sessions Judge, 21.10.2020
Firozabad.
21.10.2020

Seen 23/10/2020

सल्लमक-2
संलग्नक-2

प्रेषक,

विजय कुमार आजाद,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-7, फिरोजाबाद।

सेवा में

माननीय जनपद न्यायाधीश,

फिरोजाबाद।

विषय- अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 15/2021 दिनांक 06-01-2021 माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा किये गये आकस्मिक निरीक्षण के सम्बंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि आपके द्वारा दिनाँक 05-01-2021 को समय 02.10 बजे किये गये आकस्मिक निरीक्षण का स्पष्टीकरण मेरे द्वारा दिनांक 06-01-2021 को डाक बही क्रमांक संख्या 01/2021/ADJ-7, FZD दिनांक 06-01-2021, फिरोजाबाद से प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त कराया जा चुका है।

आपके द्वारा दिनांक 06-01-2021 को अपराह्न 02.15 बजे पुनः आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिसमें मुझे न्यायालय कक्ष में अनुपस्थित दिखाया गया है। उक्त के सम्बन्ध में सादर निवेदन यह है कि प्रार्थी के न्यायालय में सम्भवतः जनपद न्यायालय फिरोजाबाद में अन्य सत्र न्यायालयों में लम्बित पत्रावलियों की अपेक्षा सबसे कम पत्रावलियाँ लम्बित है। इस न्यायालय में 77-सत्र परीक्षणीय वाद, 17- अन्य फौजदारी वाद व 11- सिविल प्रकृति के वादों को मिलाकर **105 पत्रावलियां** मौजूद है। दिनांक 06-01-2021 को 10 सत्र परीक्षणीय वाद एवं 2 फौजदारी अपील तथा 2 सिविल अपील सुनवाई हेतु नियत थी। 10 सत्र परीक्षणीय वादों में से 2 पत्रावलियाँ हाजिरी में एवं 8 पत्रावलियाँ अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान प्राप्त आदेशों के अनुपालन में कोई साक्ष्य अभिलिखित नहीं की जा रही है और किसी अभियुक्तगण आदि के वारण्ट भी जारी नहीं किये जा रहे हैं। उपरोक्त परिस्थिति में ऐसी पत्रावलियों में केवल तिथि ही नियत की जाती है। अग्रिम तिथि नियत करने में विलम्ब होने पर विद्वान अधिवक्तागण व वादकारी न्यायालय में शोर मचाते है और कहते हैं कि जब पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं की होनी है तो पत्रावली में अग्रिम तिथि नियत करने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है। तारीख जल्दी मिलने पर वह दूर-दराज स्थिति अपने गाँव में समय से घर पहुँच जायेंगे। बढ़ती हुई ठण्ड व कोविड-19 महामारी की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा भोजनावकाश से पूर्व ही ऐसी पत्रावलियों में अग्रिम तिथि नियत कर दी जाती है।

यहाँ यह भी उल्लेखित करना समीचिन होगा कि यह न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का नियमित न्यायालय है, विशेष न्यायालय नहीं है इसमें किसी अभियुक्त का रिमाण्ड, जमानत प्रार्थनापत्र, वाहन/पीड़िता की अवमुक्ती से सम्बंधित प्रार्थनापत्र लम्बित नहीं है केवल माननीय महोदय के आदेश से पत्रावलियाँ स्थानांतरित होकर प्राप्त होती है। किसी भी विशेष अधिनियम से सम्बंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है और न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण हेतु लम्बित नहीं है।

न्यायालय में नियत समस्त न्यायिक व प्रशासनिक कार्य करने के उपरान्त प्रार्थी माननीय महोदय के आकस्मिक निरीक्षण के समय न्यायालय के विश्राम कक्ष में मौजूद था।

स्पष्टीकरण माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक 08-01-2021

विजय कुमार आजाद

अपर जिला जज, कक्ष सं० 7, फिरोजाबाद

संलग्नक-3

संलग्नक-3

प्रेषक,

विजय कुमार आजाद,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं०-7, फिरोजाबाद।

सेवा में

माननीय जनपद न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

पत्रांक सं०- /2021 ADJ-7, एडमिन- फिरोजाबाद, दिनांक 02-03-2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-2021 में मानक के अनुसार कार्य पूर्ण करने हेतु।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी ने दिनांक 10-08-2020 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, जनपद फिरोजबाद में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 7, फिरोजाबाद का कार्यभार ग्रहण किया है। उससे पूर्व यह न्यायालय रिक्त था जिसमें कोई पत्रावली लम्बित नहीं थी। माननीय महोदय द्वारा आदेश दिनांक 17-08-2020 से प्रार्थी के न्यायालय में मात्र 117 विविध प्रकृति के वादों को विधिनुसार निस्तारण हेतु अंतरित किये गये थे और वर्तमान में सुनवाई निस्तारण के उपरान्त इस न्यायालय में मात्र 75-सत्र परीक्षणीय वाद, 8-अन्य फौजदारी वाद, 7-फौजदारी अपील, 7- सिविल अपील व 1-SSC SUIT को मिलाकर मात्र 98 **पत्रावलियां** लम्बित है। इसी जनपद न्यायालय फिरोजाबाद में कार्यरत अन्य सत्र न्यायालय में सबसे अधिक लगभग 2800 पत्रावलियाँ लम्बित हैं एवं सबसे कम पत्रावलियाँ प्रार्थी के न्यायालय में विधिनुसार निस्तारण हेतु लम्बित है।

यहाँ पर यह भी उल्लेखित करना समीचिन होगा कि यह न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का नियमित न्यायालय है। इन न्यायालय को किसी भी अनुभाग का प्रभारी अधिकारी नहीं बनाया गया है। माननीय महोदय के आदेशानुसार अंतरित होने वाली पत्रावलियाँ ही सुनवाई निस्तारण हेतु लम्बित है। यह न्यायालय विशेष न्यायालय ना होने के कारण इस न्यायालय में किसी अभियुक्त का रिमाण्ड, जमानत प्रार्थनापत्र, वाहन/पीड़िता की अवमुक्ती आदि से सम्बंधित प्रार्थनापत्र एवं विशेष अधिनियम से सम्बन्धित पत्रावलियाँ लम्बित नहीं है। माननीय महोदय द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई निस्तारण हेतु कभी-कभी अन्तरित किये जाते है जिनकी सुनवाई के उपरान्त उनका अविलम्ब निस्तारण कर दिया जाता है।

इस न्यायालय में जिले के सभी सत्र न्यायालयों में सबसे कम पत्रावलियां लम्बित होने की सूचना प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी माननीय महोदय द्वारा प्रेषित अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 15/2021 दिनांक 06-01-2021 के स्पष्टीकरण दिनांक 08-01-2021 के माध्यम से माननीय महोदय को सादर प्रेषित की जा चुकी है।

01 अप्रैल 2020 से 04 जनवरी 2021 तक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी के दौरान प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अनुपालन में किसी साक्षीगण/अभियुक्तगण आदि के वारण्ट भी जारी नहीं किये गये, इस कारण साक्ष्य/अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी और न्यायालय द्वारा केवल अग्रिम तिथियाँ ही प्रदान की गयी है। कोविड–19 महामारी के कारण उस दौरान इस न्यायालय में न्यायिक कार्य सम्पादित नहीं हो सका है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप (1200 यूनिट) कार्य मात्र 98 पत्रावलियों के माध्यम से पूरा करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। इसलिए अन्य पत्रावलियों के तुरन्त स्थानान्तरण की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने माननीय महोदय से पूर्व में भी कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर मौखिक निवेदन भी किया है। माननीय महोदय प्रार्थी पर विशेष कृपा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्धारित मानक (1200 यूनिट) को प्राप्त करने के लिए प्रार्थी के न्यायालय में अन्य पत्रावलियाँ अतिशीघ्र स्थानान्तरित करने की कृपा करें। माननीय महोदय की महति कृपा होगी।

सादर।

भवदीय,

दिनांक 02-03-2021

विजय कुमार आजाद
अपर जिला जज, कक्ष सं० 7, फिरोजाबाद।